खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

प्रकरण आजू नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

परिवादी सहित अधिवक्ता श्री रवि मुदगल उप०। आरोपी अनु०।

आज दिनांक को लोक अदालत में परिवादी सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चितौरा के मैनेजर श्री नवनीत कुमार उप0 हैं। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री रवि मुदगल द्वारा की गयी।

परिवादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में परिवादी एवं आरोपी के मध्य राजीनामा हो गया है। आरोपी द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। अत परिवादी परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा परिवाद को वापिस लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि परिवादी एवं आरोपी के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है एवं आरोपी द्वारा विवादित चैक की संपूर्ण रिशा अदा कर दी गयी है। परिवादी प्रस्तुत परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा परिवाद वापिस लिए जाने के कारण प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जाता है।

आरोपी को परिकाम्य लिखत अधिनियम की धारा

138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

Φ.2— **AND STATE OF STATE O**

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 21 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0